हमारा समाज

यह कौन नहीं चाहेगा उसको मिले प्यार
यह कौन नहीं चाहेगा भोजन वस्त्र मिले
यह कौन न सोचेगा हो छत सर के ऊपर
बीमार पड़ें तो हो इलाज थोड़ा ढब से
बेटे-बेटी को मिले ठिकाना दुनिया में
कुछ इज्जत हो, कुछ मान बढ़े,फल-फूल जायें
गाड़ी में बैंठें, जगह मिले, डर भी न लगे
यदि दफ़्तर में भी जायें किसी तो न घबरायें
अनजानों से घुल-मिल भी मन में न पछतायें।

कुछ चिन्ताएं भी हों, हां कोई हरज नहीं
पर ऐसी भी नहीं कि मन उनमें ही गले घुने
हौसला दिलाने और बरजने आसपास
हों संगी-साथी, अपने प्यारे, खूब घने।

पापड़-चटनी, आंचा-पांचा, हल्ला-गुल्ला
दो चार जशन भी कभी, कभी, कुछ धूम-धांय
जितना सम्भव हो देख सकें, इस धरती को
हो सके जहां तक, उतनी दुनिया घूम आयें
यह कौन नहीं चाहेगा?

पर हमने यह कैसा समाज रच डाला है
इसमें जो दमक रहा, शर्तिया काला है
वह कत्ल हो रहा, सरेआम चौराहे पर
निर्दोष और सज्जन, जो भोला-भाला है
किसने आखिर ऐसा समाज रच डाला है
जिसमें बस वही दमकता है, जो काला है।

मोटर सफ़ेद वह काली है
वे गाल गुलाबी काले हैं
चिन्ताकुल चेहरा-बुद्धिमान
पोथे कानूनी काले हैं
आटे की थैली काली है
हां सांस विषैली काली है
छत्ता है काली बरों का
यह भव्य इमारत काली है
कालेपन की ये सन्ताने
हैं बिछा रही जिन काली इच्छाओं की बिसात
वे अपने कालेपन से हमको घेर रहीं
अपना काला जादू हैं हम पर फेर रहीं
बोलो तो, कुछ करना भी है
ये काला शरबत पीते-पीते मरना है?

-वीरेन डंगवाल

महिला विरोधी व्यवस्था

वैसे तो भारतीय संविधान औपचारिक तौर पर स्त्री-पुरुष के बराबरी की बात करते हैं पर समाज में हावी पितृसत्तात्मक मूल्य महिलाओं के लिए हमेशा उत्पीड़नकारी साबित होते रहे हैं। खुद न्यायपालिका भी इन पितृसत्तात्मक मूल्यों से अछूती नहीं है। न्यायधीशों के तमाम वक्तव्यों-कथनों में इस बात को देखा जा सकता है। न्यायपालिका के जज ही जब इस तरह की सोच से ग्रस्त हों तो फ़िर समाज से इन महिला विरोधी मूल्यों को समाप्त करना कितना कठिन हो जाता है। इसका सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है।

पिछले दिनों शनि-शिग्नापुर मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर काफ़ी जोर-शोर से चर्चा रही। जबकि वही ढकोसले पंडे-पुजारी एक तरफ़ महिलाओं को देवी, लक्ष्मी, सरस्वती से तुलना करते हैं, वहीं एक तरफ़ महिलाओं को अपवित्र घोषित करते हैं। वेद-पुराण से लेकर पंडित-पुजारी सभी महिलाओं को अपवित्र क्यों मानते हैं? चाहे स्त्री कितनी भी पवित्र क्यों न हो, उसके शरीर में क्या है कि वह अछुती मानी जाती है? वहीं, पुरुष चाहे कितना भी अपराधी, बलात्कारी व रखैल रखने वाला, व कितने भी अवगुणों से क्यों न भरा हो वह गंगाजल की तरह पवित्र माना गया है। पता नहीं भगवान ने उनके लिये कौन सा शुद्धी करण मंत्र का पाठ बनाया है? किसी पुजा-पाठ में अक्सर देखा जाता है कि पंडित या पुजारी मंत्रों द्वारा शुद्धि उसके शरीर पर छींट कर और पिला कर शुद्ध बना देते हैं। किन्तु यह भी सिर्फ़ पुरुषों को ही नहीं, महिलाओं को भी। पुरुष कितना भी अपराधी, कातिल, कायर क्यों न हो, जब उसे शास्त्र कहीं अपवित्र घोषित नहीं किया, इसीसे पंडे-पुजारी भी उसे पवित्र मानते हैं और शमाज भी। वहीं महिलायें अपना शरीर को साधना में लिप्त रखकर पति, संतान, भाई के लिये उपवास रखकर भी अपवित्र मानी जाती है।

आज 21 वी शदी में वेद-पुराण की चर्चा लेकर पंडे-पुजारी महिलाओं के ऊपर हाथ धो कर पड़ गये हैं। रामायण के रचैयता महाकवि तुलसीदास, का तो पता नहीं कि महिलाओं से किस जन्म का दुश्मनी है। उन्होंने ढोल, गवार, शुद्र, पशु से महिलाओं की तुलना किये हैं। शायद इसलिये कि उनकी पत्नी की फ़टकार ने ही उन्हें वैराग्य दिलाया। और यह भी कहा है कि नारी न जाई ह्दय गति जानी। मानलिया जाय कि कोई नारी की ह्दय को नहीं जान पायेगा, किन्तु पुरुषों के अन्दर कोई ऐसा चिन्ह, या खिड़की तो नहीं होता, जिससे लोग उनके ह्दय गति को जान पायें। आज तुलसीदासजी इस दुनिया में होते तो उनसे महिलायें जरूर पुछती कि जिनकी चर्चा लेकर रामायण लिखे हैं, उसमें सारे ऋषी-मुनि सभी का चरित्र छल-कपट से भरा कायर की तरह है। विष्णु ने जालन्धर का वेश बनाकर उसकी पत्नी बृन्दा को अपवित्र किया, इन्द्र ने गौतम ऋषी का वेष धारण कर उनकी पत्नी अहिल्या को अपवित्र किया और पति के श्राप से अहिल्या वहीं पत्थर बन गयीं। वहीं, इन्द्र और विष्णु क्यों न अपवित्र हुए? पराशर, वेदव्यास, विश्वामित्र सभी के चरित्र में दाग लगे हैं। फ़िर भी ऋषी, मुनि क्यों न अपवित्र हुए?

हाल में मद्रास हाई कोर्ट ने एक कदम आगे बढ़कर बलात्कार के एक मामले में पीड़िता व आरोपी के बीच समझौते का सुझाव रखा। सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय को पलटते हुए यह बात कही कि बलात्कार के मामले में समझौता नहीं हो सकता। पर यह फ़ैसला देते हुए न्यायालय ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया क्या वह आपत्तिजनक है? कुछ इसी तरह की बातें भारत के नेतागण जब-तब बोलते हैं। निर्भया काण्ड में भाजपा की वरिष्ठ नेता विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज का यह बयान कि

आज 21 वी शदी में वेद-पुराण की चर्चा लेकर पंडे-पुजारी महिलाओं के ऊपर हाथ धो कर पड़ गये हैं। रामायण के रचैयता महाकवि तुलसीदास, का तो पता नहीं कि महिलाओं से किस जन्म का दुश्मनी है। उन्होंने ढोल, गवार, शुद्र, पशु से महिलाओं की तुलना किये हैं। शायद इसलिये कि उनकी पत्नी की फ़टकार ने ही उन्हें वैराग्य दिलाया। और यह भी कहा है कि नारी न जाई ह्दय गति जानी। कोई नारी की ह्दय को नहीं जान पायेगा, किन्तु पुरुषों के अन्दर कोई ऐसा चिन्ह, या खिड़की तो नहीं होता, जिससे लोग उनके ह्दय गति को जान पायें। आज तुलसीदासजी इस दुनिया में होते तो उनसे महिलायें जरूर पुछती कि जिनकी चर्चा लेकर रामायण लिखे हैं, उसमें सारे ऋषी-मुनि सभी का चरित्र छल-कपट से भरा कायर की तरह है।

बलात्कार के बाद महिला जिन्दा लाश बन जाती है, वहीं, पुरुष जिन्दा लाश क्यों नहीं होते? ऐसी मानसिकता पुरुषों के प्रति व्यक्त क्यों नहीं की? बलात्कारी अपवित्र क्यों नहीं होते, जबकि वह अपराधी है। समाज बलात्कारी को भी घृणा की दृष्टि से क्यों नहीं देखते? इस तरह की बयानबाज़ी करने से पहले अपने मन में यह भी सोचकर देखतीं कि देश में बहुत सी महिलायें हैं जो, इस घटना की शिकार हो चुकी है। भला इस तरह की बातों से इन महिलाओं के ऊपर क्या गुजरेगा? वहीं अपराधी के प्रति इस तरह की व्यवहार क्यों नहीं करते, जो अपराधी है, और खुली हवा में घुमता है, चैन की जिंदगी जीता है। समाज भी कम दोषी नहीं हैं, वो महिलाओं के प्रति क्यों ऐसी सोच रखते हैं? क्यों उससे जूठी पत्तलों की तरह घृणा करते हैं? इस तरह से समाज द्वारा घृणित होने पर कितनी महिलायें तो आत्म हत्या कर लेती हैं। समाज अपराधी पुरुषों के प्रति क्यों नहीं ऐसी मानसिकता रखते? क्यों नहीं न्यायालय से लेकर समाज, रिश्तेदार सभी उसको सड़कों पर फ़ेके जूठी पत्तलों की तरह देखते? जिस रूप में बलात्कृत महिलाओं को देखते हैं।

" अपराध महिला के शरीर के प्रति है जो कि उसका अपना मंदिर है। ये अपराध जीवन का दम घोंटतें हैं और प्रतिष्ठा को अपमानित करते हैं। और प्रतिष्ठा, कहने की जरूरत नहीं, कि सबसे मूल्यवान गहना है जो कोई अपने जीवन में हासिल कर सकता है। किसी को भी इसको छीनने की अनुमति नहीं दी जा सकती। जब एक मानव अशुद्ध हो जाता है तो वह उसका "शुद्धतम खजाना" खो दिया जाता है। एक महिला की गरिमा उसके अविनाशी व अमर व्यक्तित्व का हिस्सा होती है और किसी को इसे मिट्टी से रंगने के बारे में सोचना तक नहीं चाहिए।"

यह सब क्या है? हमारी न्यायपालिका महिलाओं के गुण, प्रतिष्ठा, सम्मान, पवित्रता आदि बताती है और साथ में यह भी बताती है कि बलात्कार से महिला पूरी तरह नष्ट हो जाती है। एक अन्य मामले में न्यायपालिका यह निर्णय सुनाती है- "बलात्कार महज एक शारीरिक हमला नहीं है-यह अक्सर पीड़िता के पूरे व्यक्तित्व के लिए विनाशकारी है। एक कातिल, पीड़िता के केवल भौतिक शरीर को नष्ट करता है पर एक बलात्कारी, असहाय महिला की आत्मा को नष्ट कर देता है।" तो हमारी न्याय व्यवस्था बलात्कार को हत्या से भी बुरा बताती है क्योंकि उसकी नज़र में बलात्कार से सारा व्यक्तित्व-आत्मा नष्ट हो जाती है। यह सब प्रकारान्तर से समाज की उसी पिछड़ी सोच का ही अंश नज़र आता है जिसके अनुसार बलात्कृत महिला को जीवन भर शर्म और अपमान झेलने के बजाय मर जाना चाहिये, की शिक्षा दी जाती है।

निश्चय ही बलात्कार महिलाओं के साथ गम्भीर अपराध है। पर पितृसत्तात्मक मूल्य मान्यताएं इसको इस रूप में पेश करती है कि महिला का शरीर ही उसकी मूल सम्पत्ति है। उसकी सारी इज्जत/प्रतिष्ठा का प्रतिक शरीर की शुद्धता है और अगर यह अशुद्ध हो गया तो महिला की सारी इज्जत-प्रतिष्ठा-आत्मा का नाश हो जाता है वह 'जिन्दा लाश' बन जाती है। इस स्थिती से अच्छा तो उसकी मौत है। आज 21 वीं शदी में समाज की ऐसी सोच है।

यह सोच किसी पीड़िता को अपने साथ हुए अपराध से उबर कर एक सामान्य जीवन जीने से रोकती है। समाज के अधिकतर सदस्यों के साथ हमारी न्यायपालिका भी इसी सोच को प्रसारित कर किसी पीड़िता महिला को सामान्य जीवन की ओर नहीं बढने देती। वे किसी महिला को यह दावा करने में बाधा खड़ी करती है कि उसका व्यक्तित्व आत्मा-गरिमा उसकी सोच समझदारी व कर्मों से हासिल होगी न कि शरीर से?

इस सोच को पूंजीवादी व्यवस्था बारम्बार पालती पोसती है इसलिए सोच के साथ व्यवस्था से भी लड़ना जरूरी है।

- नीलिमा

घर बैठे प्राप्त करें मज़दूर मोर्चा

आज ही अपने हॉकर से कहें कोई दिक्कत हो तो शर्मा न्यूज एजेंसी से फोन नं 9811159238 पर बात करें। बल्लभगढ के पाठक अरोडा न्यूज एजेंसी से 9811477204 पर बात करें:

अन्य बिक्री केन्द्र :

1. **आनंद मैगजीन सैंटर केसी रोड, एनएच-5,**
2. **प्रिंट फोर्ट टेलीफोन एक्सचेंज के सामने नेहरू ग्राउंड,**
3. **रेलवे बुक स्टाल ओल्ड रेलवे स्टेशन,**
4. **रैंक, 45 नीलम चौक,**
5. **एनआईटी रेलवे स्टेशन के बाहर बाटा चौक पुल के नीचे,**
6. **राम खिलावन बल्लभगढ़ बस अड्डा पुलिस चौकी के सामने,**
7. **हितेश ग्रोवर सैक्टर 29 पेट्रोल पम्प के पास ।**
8. **जितेन्द्र, बाटा सैंटर - 9971064207**
9. **स्थानीय अदालतों में : चैम्बर नं. 56-एस.के .जोशी - वकील साहब**